द्वितीय अध्याय

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

अध्याय – 2

संबंधित सहित्य का पुनरावलोकन

2.1 प्रस्तावना –

अनुसंधान चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उसका लक्ष्य संबंधित क्षेत्र में अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोजना, वर्तमान समस्याओं के समाधान खोजना, विरोधी सिद्धान्तों की सत्यता को परखना, नवीन तथ्यों की खोज करना, जीवन एवं उसके परिवेश से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना आदि होता है।

संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण एवं अध्ययन शोधकर्ता को नवीनतम ज्ञान के शिखरों पर ले जाता है, जहाँ उसे अपने क्षेत्र से संबंधित निष्कर्षों एवं परिणामों का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है तथा यह ज्ञात होता है कि ज्ञान के क्षेत्र में कहाँ रिक्तियाँ हैं, कहाँ अनुसंधान की पुनः आवश्यकता है। जब वह दूसरे शोधकर्ताओं के अनुसंधान कार्य की जाँच एवं मूल्यांकन करता है, तो उसे बहुत सी अनुसंधान विधियों, बहुत से तथ्यों, सिद्धान्तों, संकल्पनाओं एवं संदर्भ ग्रन्थों का ज्ञान होता है, जो शोधकर्ता के अपने अनुसंधान में उपयोगी सिद्ध होते है। पुनरावलोकन द्वारा बहुत से अनुसंधान प्रतिवेदनों की अच्छाइयों एवं कमियों को जान लेने के बाद इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है कि स्वयं एक घटिया अनुसंधान करेगा अथवा अनुसंधान प्रक्रिया संबंधी उन गलतियों की पुनरावृत्ति करेगा, जो उस के पूर्व वाले शोधकर्ता कर चुके है।

2.2 साहित्य पुनरावलोकन का महत्व एवं योगदान –

अनुसंधान प्रक्रिया की सबसे पहली सीढ़ी संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण एवं उसकी समीक्षा है। अनुसंधान की समस्या का अन्तिम रूप से चयन करने से पूर्व शोधकर्ता को समस्या संबंधी साहित्य एवं सूचनाओं को एकत्र करना तथा उनकी समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है–

- शोधकर्ता का अनुसंधान संबंधी ज्ञान बढ़ता है। उसे अनुसंधान की भिन्न–भिन्न प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है। उसे पहले अध्ययनों में प्रयुक्त यंत्र व औजारों की भी जानकारी मिलती है तथा सांख्यिकीय विधियों की अंतदृष्टि भी मिल जाती है।
- शोधकर्ता को अपने क्षेत्र व समस्या को सीमित करने एवं उसे दिशा देने में सहायता मिलती है। उसे अपनी समस्या के परिसीमन व उसकी परिभाषा करने में भी सहायता मिलती है।
- शोधकर्ता अनुसंधान करते समय अलाभप्रद व अनुपयोगी समस्याओं से बच सकता है। वह ऐसे क्षेत्र चुन सकता है जिनमें लाभदायक खोज हो सकेगी और उसके प्रयासों से ज्ञान में सार्थक वृद्धि होगी।
- मौलिक एवं उपयोगी अनुसंधान तभी संभव है, जब शोधकर्ता को इस बात की अच्छी जानकारी हो कि उसकी समस्या से संबंधित क्षेत्र में क्या कुछ पहले हो चुका है, अन्यथा जो हो चुका है, उसी की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यदि अध्ययन के परिणामों की स्थिरता व वैद्यता भलीप्रकार सिद्ध हो चुकी है तो उसे दोहराना निरर्थक होगा।

2.3 पूर्व में किये गये शोध –

(1) कु. सुषमा मिश्रा (1992)

"अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक बालिका विद्यालयों में विद्यमान सुविधाओं का छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव "

निष्कर्ष –

"भोपाल नगर" के संदर्भ शीर्षक के अंतर्गत अपना शोध कार्य किया एवं अध्ययनोपरांत यह पाया गया कि विद्यालयीन शिक्षा में अल्पसंख्यक मुस्लिम बालिकाएँ बहुसंख्यक हिन्दु बालिकाओं की तुलना में कम शिक्षा के अवसर का प्रयोग करती है । तथा शैक्षिक उपलब्धि भी बहुसंख्यक बालिकाओं की अपेक्षा कम है ।

(2) राजेन्द्र शुक्ला (1997–98)

"महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव पूर्ण मान्यताओं की जानकारी प्राप्त करना"

निष्कर्ष –

बिलासपुर के अंतर्गत शोध–कार्य किया गया।

(1) समाज में फैली भेदभाव पूर्ण मान्यताओं का बालिकाओं की अभिवृत्ति पर प्रतिकूल

प्रभाव वर्तमान में भी परिलक्षित है ।

(2) शिक्षित परिवार की तुलना में अशिक्षित परिवारों में इनका प्रभाव अधिक स्पष्ट प्रदर्शित हुआ ।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों में आज भी ये मान्यताएँ अधिक मान्य एवं प्रचलित है ।

(3) ए. डी. भूमिरया (1998 – 99)

"दाहोद" की प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के जेंडर के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन।"

निष्कर्ष –

(1) पुरूष एवं स्त्री शिक्षकों के बीच जातीयता के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया। स्त्री शिक्षकों से पुरूष शिक्षकों की अभिवृत्ति सकारात्मक पाई गई।

(2) ग्रामीण एंव शहरी शिक्षकों के जातीयता के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया। शहरी शिक्षको की अभिवृत्ति में ग्रामीण शिक्षकों से सकारात्मक दृष्टि से पाई गई।

(3) उच्च शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों की अभिवृत्ति निम्न शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों से अधिक पाई गई।

(4) कम आयु वाले शिक्षकों की अभिवृत्ति निम्न शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों से अधिक पाई गई।

(4) हर्षद पटेल (2004–05).

" बच्चों के प्रति अभिभावकों के दैनंदिन व्यवहार में लिंग आचरण का अध्ययन " एम. एड. आर.आई.ई. भोपाल।

निष्कर्ष –

(1) शिक्षित अभिभावक लड़कों से रूढ़िबद्ध काम करवाते हैं एवं उनके रूढ़िबद्ध भूमिका का पक्ष लेकर लैंगिक पक्षपात रखते हैं ।

(2) शिक्षित अभिभावक का लड़कियों के प्रति रूढ़िबद्ध व्यवहार हैं ।

(3) अधिकतर अभिभावक लडकियों से रूढ़िबद्ध लिंग आचरण की अपेक्षा रखते हैं।

(4) अभिभावकों का लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण पक्षपात पूर्ण हैं ।

(5) सोलंकी जयेन्द्र सिंह (2007 – 08)

"समाज में लिंगभेद पर आधारित कार्य विभाजन के बारे में विद्यार्थियों के दृष्किोण का अध्ययन।" (2008) एम. एड. आर.आई.ई. भोपाल।

उद्देश्य

(1) कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों में लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन संबंधी दृष्टिकोण को जानना।

(2) कक्षा 8वीं के छात्र एवं छात्राओं में लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन संबंधी दृष्टिकोण के अंतर को जानना।

(3) कक्षा 8वीं के ग्रामीण एंव शहरी विद्यार्थियों में लिंग भेद पर आधरित कार्य विभाजन संबंधी दृष्टिकोण के अंतर को जानना।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य दादर नगर हवेली के ग्रामीण एंव शहरी विस्तार तक सीमित है और यह कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों पर अध्ययन किया गया है।

(1) कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों में लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन संबंधी दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है।

(2) कक्षा 8वीं के छात्र एवं छात्राओं में लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन संबंधी दृष्टिकोण में सार्थक अंतर नही है।

(3) कक्षा 8वीं के ग्रामीण एंव शहरी विद्यार्थियों में लिंग भेद पर आधरित कार्य विभाजन संबंधी दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है।

(6) श्रीधर रणक्षेत्रे – (2009–10)

" कक्षा 9 वीं के विद्यार्थियो का लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन "

एम. एड. आर.आई.ई भोपाल।

उद्देश्य

(1) कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण के अंतर को जानना ।

(2) कक्षा 9वीं के ग्रामीण एंव शहरी विद्यार्थियों का लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण के अंतर को जानना ।

(3) कक्षा 9वीं के शहरी छात्राओं एवं छात्रों के लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण के अंतर

को जानना ।

निष्कर्ष

(1) कक्षा 9 वीं के विद्यार्थियों में लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है कारण यह हो सकता है कि विद्यार्थिया में आज भी स्त्री के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण है वह विद्यार्थियो में निहित हो सकता हैं ।

(2) कक्षा 9 वीं के ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों में लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर हैं ।

(3) कक्षा 9 वीं के शहरी छात्राओं और छात्रों में लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है इसका कारण हो सकता है कि शहरी छात्रों की तुलना में छात्राएँ अधिक जागृत हैं, छात्रों को वह जागृति का माहौल न मिला हो अथवा छात्र पारम्परिक दृष्टिकोण को मानने वाले हैं ।

(7) अनंत गावंडे – (2009–10)

"आदिवासी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण एक तुलनात्मक अध्ययन" एम. एड. आर.आई.ई. भोपाल।

उद्देश्य

(1) आदिवासी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का (माता – पिता) लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना ।

(2) आदिवासी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना ।

(3) आदिवासी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का लडकियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना ।

निष्कर्ष

(1) लड़कियों की शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र के अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत से अधिक तथा आदिवासी क्षेत्र के अभिभावकों को दृष्टिकोण औसत है ।

(2) लड़कियों की शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण उच्च ग्रामीण क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत से अधिक तथा आदिवासी क्षेत्र के साक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत है।

(3) लड़कियों की शिक्षा के प्रति शहरी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण उच्च, ग्रामीण क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत से अधिक तथा आदिवासी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत से अधिक तथा आदिवासी क्षेत्र के निरक्षर अभिभावकों का दृष्टिकोण औसत हैं ।

(8) देवी बबिता (2012 – 13)

"समाज में लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन के बारे में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन।" (2012 – 13) एम.एड. आर.आई.ई. भोपाल।

प्रस्तुत शोधकार्य म. प्र. के भोपाल जिले के शहरी एवं ग्रामीण विस्तार तक सीमित है।

उद्देश्य

(1) कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों में लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन संबंधित दृष्टिकोण को जानना।

(2) कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं में लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन संबंधित दृष्टिकोण के अंतर को जानना।

निष्कर्ष

(1) कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों में लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन संबंधित दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है।

(2) कक्षा 10वीं के छात्र–छात्राओं में लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन संबंधित दृष्टिकोण में सार्थक अंतर है।